स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. 33/Press Clipping/3/2018/RU-III दिनांक: 27—03—2018

सेवा में,

सचिव
अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन,
मंत्रालय,
नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषयः "26 गांवो की तबाही का फरमान, महाराष्ट्र पावर के कोल् ब्लॉक की जनसुनवाई की तारीख तय, ग्रामीण जमीन न देने पर अड़े" शीर्षक से प्रकाशित समाचार ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर प्रकाशित समाचार (प्रतिलिपि संलग्न है) एवं इस आयोग के वायरलेस संदेश TP/CP/NCST/2018/52 दिनांक 26.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि रायगढ़ जिले में कलेक्टर कार्यालय मे दिनांक **02.04.2018 को 15.00 बजे** आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा ली जाने वाली बैठक में जिले के **तमनार विकास खंड के अंतर्गत गारे पेलमा सेक्टर 2 कोल ब्लॉक हेतु जनसुनवाई से पूर्व विस्थापित परिवारों के उचित पुनर्वास हेतु प्रशासन द्वारा किए गए उपायों के क्रियावन की समीक्षा भी की जाएगी।** बैठक में आयोग में पदस्थ भारत सरकार के सचिव भी उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से आपके साथ ही प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग और प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग का रहना अपेक्षित है । इस के अलावा सीएमडी, एस ईसीएल, महाराष्ट्र शासन के संबंधित विभागों के अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ भी बैठक में जानकारी के साथ सम्मिलित होंगे। उपरोक्त अधिकारियों को वायरलेस संदेश TP/CP/NCST/2018/52 दिनांक 26.03.2018 द्वारा पूर्व में ही बैठक की सूचना दी गई है।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए बैठक को सार्थक बनाने और आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2145
28/3/18

जारी किया
ISSUED

भवदीय,

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
~~दूरभाष- 24615012~~